



97/11

दूरभाष- 2286709
2286710

नव सेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1074 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : 16 जून 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बहराइच।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20272126820	IFSC Code ALLA 0210238	190.53

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन बजट	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० बक्शीपुरा मे मुन्ना के मकान से नसीम के मकान होते हुये मुबारक के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	15.959
2	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० दरगाह शरीफ में असगर के मकान से पूर्वी गेट होते हुये शाहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	10.105
3	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० दरगाह शरीफ में (नूरुद्दीनचक) में मुमताज के मकान से नाजिम अली व अन्जु से मस्जिद तक रफ़ीक अफसाना से मिज्जन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	20.042
4	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० दरगाह शरीफ में (नूरुद्दीनचक) में हयात के मकान से बड़कन्नी के मकान होते हुये सगीर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	12.019
5	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० दरगाह शरीफ में मुन्ने मिया के मकान मकई गेट होते हुये सलाम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	29.004
6	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० दरगाह शरीफ में सलीम के मकान से अनीस टेकेदार के मकान तक शब्बीर मसूदी के मकान से अमीन के मकान तक रोजअली के मकान से जीमल के मकान तक (अवशेष) इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	8.472
7	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० नंगूहाता सलारगंज में रंजीत के मकान से जाबेद व मोनू के मकान तक, हनीफ के मकान से शरीफ के मकान तक, रामावती के मकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.495
8	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० सलारगंज नंगूहाता में राजू के मकान से नदीम के मकान होते हुये लत्तन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	10.514



97/2

दूरभाष- 2286709
2286710

नव धेनना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किंशा की धनराशि का प्रश्न
9	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० सलारगंज नंगूहाता में सोनापोत के मकान से रामबिहारी व टिकोरी से कैलाश के मकान तक, रमेश के मकान से रोड तक, भई लाल के मकान से घसीटे के मकान तक, सजीवन से बिनोद, रामधोज से धनस्थान, जमालू से भूरी, मौलाना से हनीफ के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	21.892
10	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० नाजिरपुरा में शमीम के मकान से वसीम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	7.479
11	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० नाजिरपुरा में कल्लू के मकान शरीफ के मकान तक, टिन्कू से पुतान, प्रधान के मकान से शब्बू आदिम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	11.474
12	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० नाजिरपुरा में अ० समद के मकान से कय्यूम के मकान तक, सलीम के मकान से हाजी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	7.247
13	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० नाजिरपुरा में जमाल के मकान से सईद के मकान होते तैय्यब के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	5.095
14	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० बसीरगंज मे राजू के मकान से बहादुर व सीताराम से ननकाउ आदि के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	6.286
15	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० बड़ीहाट में शकील के मकान से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	2.666
16	बहराइच	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० रिसिया	मो० आजादनगर में पिन्टू के मकान से साबित अली के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	5.781
	योग				190.53

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाये या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



97/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव देवता केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केंद्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं प्रथम किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक